आवश्यक / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0 / सिसटम सेल / 742 दिनांकः 10 फरवरी,2020

विषयः **वर्ष 2020 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के सुधार के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का डाटा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांकः 10 सितम्बर,2019 तक अपलोड / करने एवं उसे अपडेट करने हेतु विज्ञप्ति पृष्ठाकन संख्याः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 278 दिनांकः 10 जुलाई,2019 द्वारा प्रसारित कराई गयी थी। इसके पश्चात प्रधानाचार्यों को उनके द्वारा परीक्षार्थियों के अपलोड किये गये डाटा में किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध / अपडेट करने हेतु पत्रांकः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 476 दिनांकः 17–10–2019 के माध्यम से निर्देशित करते हुये दिनांकः 20 अक्टूबर,2019 को परिषद की वेबसाइट पुनः खोली गयी थी। जो दिनांकः 16 नवम्बर,2019 तक क्रियाशील रही। इस तिथि तक प्रधानात्रार्यों से प्राप्त संशोधनों को अपडेट कराने के पश्चात् परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र आदि मुद्रित कर निर्गत किये गये।

ज्ञातव्य है कि **वर्ष 2020 की परीक्षा से परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण अग्रेंजी के साथ ही साथ प्रथमबार हिन्दी में भी मुद्रित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।** अतः परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में किसी भी प्रकार की एक भी त्रुटि अवशेष न रहे जाये इस हेतु छात्रहितं को दृष्टिगत रखते हुये परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि (यदि कोई हो) को शुद्ध / अपडेट करने हेतु परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in को दिनांकः 10–02–2020 से पुनः खोला जा रहा है। इस कार्य हेतु **वेबसाइट दिनांकः 25 फरवरी,2020 तक क्रियाशील रहेगी।** वेबसाइट पर संशोधन निम्नानुसार होगें :–

1– वेबसाइट पर परीक्षार्थियों का नाम / माता / पिता के नाम / जन्मतिथि / विषय कास्टकोड / जेण्डर कोड / मीडियम कोड / रेगुलेशन कोड आदि में संशोधन किये जा सकेगें। कृषि भाग–1(कक्षा–11) के परीक्षार्थियो के संशोधन परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आफलाइन किये जायेगे।

2– नामों में विद्यालयी अभिलेखों (प्रवेश आवेदन पत्र एवं स्कालर रजिस्टर्स) के अनुसार ही संशोधन केवल स्पेलिंग / वर्तनी की त्रुटियों का ही किया जायेगा। **बिना किसी समुचित साक्ष्य / अभिलेख के परीक्षार्थी के नाम व माता / पिता के नाम तीनों नामों में एक साथ पूर्ण परिवर्तन किया जाना वर्जित है।** यदि वास्तव में ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें त्रुटिवश किसी छात्र / छात्रा का विवरण पूरा बदल गया है तब उस स्थिति में समस्त सुसंगत साक्ष्यों / अभिलेखों एवं उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के साथ सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्यालय को पृथक से आवेदन करना होगा। अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को विवरण परिवर्तित करने का दोषी मानते हुए उसे एवं विद्यालय को डिबार करने की कार्यवाही की जायेगी।

3– जिन परीक्षार्थियों की फोटो धुंधली (Blurred) है अथवा नहीं लगी (Missing) है उनकी विद्यालयवार सूची परिषद की वेबसाइट पर सम्बन्धित विद्यालयों के पैनल पर लगा दी गयी है। प्रधानाचार्यगण इस सूची

प्रधानाचार्यगण इस सूची से प्रभावित सभी परीक्षार्थियों की सही फोटो स्कैन कराकर निर्देशानुसार स्वयं अपलोड करेगें। इसी प्रकार जिन छात्र/छात्राओं की फोटो परस्पर बदल गयी है उनकी फोटो को परस्पर बदलने/स्थानान्तरित कर शुद्ध करने का विकल्प वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी परीक्षार्थी के स्थान पर किसी दूसरे परीक्षार्थी की फोटो लगे होने की स्थिति में अथवा फोटो डुप्लीकेट होने की स्थिति में इसे वेबसाइट पर बदलने का विकल्प नही है। इस प्रकार के परीक्षार्थियों की फोटो को प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित कर एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से संस्तुति कराकर सुसंगत साक्ष्यों के साथ परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में उनके अनुक्रमांक के साथ आवेदन देना होगा।

परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार त्रुटि न रहे और जिससे उनके शैक्षिक प्रमाणपत्र/अंकपत्र आदि पूर्णरूपेण शुद्ध मुद्रित हों इस हेतु उक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों को कृपया पत्र/विज्ञप्ति/वाट्सएप आदि के माध्यम से अविलम्ब निर्देशित कर दें। इसके साथ ही उन्हें इस आशय का भी निर्देश दे दें कि **दिनांकः 25–02–2020** के पश्चात् उन्हें किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रधानाचार्यों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी लें लें कि उन्होनें विद्यालयी अभिलेखानुसार विद्यालय में पंजीकृत समस्त संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं के समस्त शैक्षिक विवरणों को सम्बन्धित समस्त परीक्षार्थियों से त्रुटियों की सूचना लेकर उसे पूर्णरूपेण शुद्ध/अपडेट कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि इस वर्ष परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर इस आशय के निर्देश मुद्रित कराये गये हैं कि परीक्षार्थी के अभिभावक भी प्रवेश पत्र पर मुद्रित विवरणों का परीक्षण करेगें तथा किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर तत्काल प्रधानाचार्य को सूचित करेगें। इसके साथ ही परिषद की वेबसाइट पर छात्र/छात्राओं के विवरणों को सार्वजनिक रूप से देखने हेतु की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिषद की विज्ञप्ति पृष्ठाकंन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/718 (1–3) दिनांकः 01–02–2020 द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं को निर्देश दिये गये हैं कि यदि उनके विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो वे तत्काल अपने प्रधानाचार्य को त्रुटियों को संशोधित करने हेतु आवेदन करेगें।

प्रधानाचार्यों को एवं परीक्षार्थियों को विज्ञप्तियों के माध्यम से इस आशय के स्पष्ट निर्देश दे दिये जायें कि **यदि किसी भी परीक्षार्थी के विवरणों में त्रुटि/विसंगति होने अथवा उसके अग्रेंजी एवं हिन्दी में मुद्रित नामों में भिन्नता होने अथवा उसकी फोटो धुंधली होने अथवा न लगी होने की स्थिति में सम्बन्धित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया जायेगा जिसके लिये प्रधानाचार्य ही सीधे तौर पर उत्तरदायी होगें।**

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

पृष्ठाकन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/742-1 दिनांकः 10 फरवरी,2020

समस्त अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ/बरेली/वाराणसी/प्रयागराज तथा गोरखपुर को इस आशय एवं निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी उक्त निर्देशों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।

10.2.2020

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।